रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267226
CG-DL-E-29102025-267226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 631] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 715(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र और क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, पुस्तकालय औरसूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4.निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यकया समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**आवश्यक:** (i)अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii)अनुभव: केंद्रीय या राज्य सरकार या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वांछनीय:** (i)अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर; (ii)अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा। **टिप्पण :** 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके

						लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोनन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**		**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**		**(13)**
लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:- (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के वेतन स्तर 6 या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद परप्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन / द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	<u>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति</u> 1.संयुक्त सचिव (आई.एन.एम.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग -अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव (आई.एन.एम.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग - सदस्य; 3. निदेशक, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र - सदस्य; 4. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र - सदस्य।	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 6-15/2022-आईएनएम (114823)]

चन्द्र शेखर प्रसाद, अवर सचिव (आई.एन.एम.)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2025

G.S.R. 715(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Centre of Organic Farming and Regional Centres of Organic Farming, Library and Information Assistant (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the National Centre for Organic and Natural Farming, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the National Centre for Organic and Natural Farming, Assistant Library and Information Officer (Group 'B' Gazetted post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in pay matrix.–** The number of the said posts, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.–** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of Post	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Library and Information Officer.	01* (2025) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs.44900 - 142400) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for the Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (i) Qualification: Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Experience: Two years professional experience in a library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable:** (i) Qualification: Masters Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute (ii) Experience: Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute. **Note**: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons

						to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of Probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**		**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**		**(13)**
Not Applicable	Two years Remark: 2 years for Direct Recruits. There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	Deputation failing which by direct recruitment	**Deputation:** Officers under the Central Government or State Government or Union territories: - (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years regular service in the posts in the pay level 6 of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/ absorption shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of the receipt of applications.	NA	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation 1. Joint Secretary (INM), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary (INM), Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member; 3. Director, National Centre for Organic and Natural Farming - Member; 4. Regional Director, Regional Centre for Organic and Natural Farming - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.

[F. No. 6-15/2022-INM (114823)]

CHANDRA SHEKHAR PRASAD, Under Secy. (INM)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.29 12:10:56 +05'30'